भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1969

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति

†1969. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी चल रही हैं;

(ख) क्या इस वर्ष कोई नई मेट्रो रेल या शहरी परिवहन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए कौन से स्थान प्रस्तावित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किफायती शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 11.07.2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत चयनित 100 शहरों में शुरू की गई 1,64,695 करोड़ रुपए की कुल 8063 परियोजनाओं में से 1,53,977 करोड़ रुपए की 7,636 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 95%) पूरी हो चुकी हैं तथा 10,718 करोड़ रुपए की शेष 427 परियोजनाएं चल रही हैं।

एससीएम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 100 शहरों के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। दिनांक 11.07.2025 तक शहरों द्वारा 47,459 करोड़ रुपए (अर्थात् कुल केंद्रीय अंश आवंटन का 99%) की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 45,881 करोड़ रुपए (अर्थात् दावा किए गए कुल केंद्रीय अंश का 97%) का उपयोग किया जा चुका है।

(ख) कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, भारत सरकार द्वारा तीन मेट्रो रेल परियोजनाएं - 6231 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 26.43 किलोमीटर लंबाई वाला दिल्ली मेट्रो रिठाला कुंडली कॉरिडोर, 3626 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 12.75 किलोमीटर लंबाई वाला पुणे

मेट्रो चरण 2 और 416 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 2.6 किलोमीटर लंबाई वाला डिपो स्टेशन से बोराकी तक नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन का विस्तार, जो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) प्रोजेक्ट है - को संस्वीकृति दी गई है।

(ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाएँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।पीएमएवाई-यू मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवास निर्माण के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 2.30 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित सरकारी सब्सिडी के साथ 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन की शुरुआत की है।

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में माँग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता निर्धारित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग पंजीकृत कर सकते हैं। योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार हेतु केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को अग्रेषित किया जाता है।

****